न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 14 / 2020

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री विनोद परमार, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री खींयाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 08.05.2020 को श्री प्रकाशचन्द उचित मूल्य दुकानदार कपूरड़ी द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये दूरभाष सूचित किया कि वाहन संख्या आरजे19 जीबी5748 द्वारा माह अप्रेल 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अतिरिक्त आवंटन एवं जून 2020 का नियमित आवंटन गेंहू एवं चना दाल की आपूर्ति लेकर राशन दुकान पर आया हैं जिसमें गेंहू के चार कट्टे ज्यादा भरे हुए हैं। इस पर श्री विनोद परमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौके पर पहूंच कर मौतबिरान के रूबरू [illegible] के वाहन की जांच करने पर ट्रक के केबिन के उपर [illegible] गए। अप्रार्थी को पूछताछ करने पर बताया कि राशन की दुकानों पर गेंहू खाली [illegible] जाते समय जो गेंहू बच जाता हैं उसे इकट्ठा किया गया हैं। इस पर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:52:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

दृष्ट्या उक्त कट्टों में भरा हुआ 193.500 किलोग्राम गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतीत होने पर उक्त गेंहू मय बारदाना कब्जेराज किया गया एवं जब्तशुदा गेंहू को श्री प्रकाशचन्द उचित मूल्य दुकानदार कपूरड़ी को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेंहू का अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया जाता प्रतीत होता हैं, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 खण्ड 6(4), 7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6, 20 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त जब्तशुदा गेंहू 193.500 किलोग्राम राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी को जारी किया गया पंजिबद्ध डाक का नोटिस अदम तामील प्राप्त नही होने एवं पूर्ण पता अंकित होने से अप्रार्थी की तामील को पर्याप्त मानते हुए अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के स्वामित्व के वाहन मे अनाधिकृत रूप से रखे गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू पाये जाने पर उक्त गेंहू मौतबिरान के रूबरू जब्त सरकार किये गये है जो वर्तमान मे श्री प्रकाशचन्द, उचित मूल्य दुकानदार कपूरड़ी को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 खण्ड 6(4), 7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6, 20 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य हैं। अप्रार्थी ने बावजूद सूचना उपस्थित होकर अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:52:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रतिवाद किया है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप जब्तशुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न 193.500 किलोग्राम गेंहू को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 खण्ड 6(4), 7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6, 20 का उल्लंघन मे पाये गये उक्त 193.500 किलोग्राम गेंहू को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई खाद्यान्न सामग्री 193.500 किलोग्राम गेंहू को निर्धारित बाजार दर पर विक्रय द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:52:05 IST
Reason: SelfAttested